संख्या–6113/आठ–1–06–26जीडीए/04

प्रेषक,

**के0 एल0 मीना**
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **आयुक्त,**
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3– **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश।

4– **नियंत्रक अधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1** **लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त, 2006**

**विषय : 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–4165/आठ–1–05–29विविध/98 दिनांक 7 जुलाई, 2006 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओ पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही उसका क्रियान्वपयन किये जाने का निर्देश दिया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्राविधान प्राधिकरण/आवास विकास परिषद की योजनाओं के साथ–साथ प्राईवेट बिल्डरों द्वारा बनायी जाने वाली योजनाओं पर भी लागू होगें।

3– कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

**के0 एल0 मीना**
सचिव

संख्या–यू0ओ0–6113(1)/आठ–1–06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

3– अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**शिव जनम चौधरी**

अनु सचिव